



12.07.19

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान
अभिभाषक अपीलांट ने रथगन प्रार्थना पत्र पर
बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट व
रेस्पोंडेन्ट्स के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम
कोलासर की रोही में गत् खसरा नम्बर 130,
134, 135 जिसके हाल खसरा नम्बर 254, 255,
256, 311, 351 में 30.11 हेक्टर भूमि चली आ
रही है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट व
रेस्पोंडेन्ट संख्या 45 ता 50 ने एक धोषणात्मक
एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया तथा साथ
ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत
किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
दिनांक 01-07-2016 को अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी की गई जिसे दिनांक
27-06-2019 को केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1
से 23 की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा बढ़ाये
जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। शेष के
विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढ़ाई
गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की
भूमि होते हुए भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 24 से 32 ने
अपना हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया गया
है। जोकि बेचान पत्र में स्पेसिफाई नहीं किया
गया है क्योंकि भूमि संयुक्त खाते की भूमि है।
उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होते
हुए भी आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि
कारित की गई है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 24 से 44
को पाबन्द किया गया है। जबकि विधि का यह
सर्वमान्य सिद्धान्त है कि एक ही वाद में


राजशही अपील अधिकारी
राजशही

अलग-अलग पक्षकारों के वावजूत अलग-अलग अरथाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में सभी पक्षकारों को समान रूप से प्रभावी करने वाली निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। चूंकि वादग्रस्त भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौरान अपील यदि अपीलांट को उसके कब्जे का रत की भूमि से बेदखल किया गया अथवा मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया ता अपीलांट को अपूर्ण शक्ति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व प्रसारित स्थान आदेश को प्रभावी रखते हुए आदेश दिनांक 27-06-2019 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 28 ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है जिसकी अपील 225 आरटीए के तहत सधारणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपील एडमिशन के स्तर पर ही खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 28 ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम आदेश के कारण सभी पक्षकार प्रभावित हो रहे थे परन्तु कुछ सहखातेदारों ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया, परन्तु अपील में उन्हें पक्षकार नहीं बताया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि एक संयुक्त खाते की भूमि है जिसमें पक्षकारों को अपने हक व हिस्से की भूमि को बेवान करने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में आरआरटी 2009 पृष्ठ 25 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। जिसमें प्रत्येक सह खातेदारान को अपने हिस्से की सीमा तक भूमि विक्रय करने के अधिकार की पुष्टि की गई है। इसी प्रकार आरआरटी 2001 पेज 1261 में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत के माध्यम से सहखातेदार के हिस्से की सीमा तक उपयोग में दखल न करने की राय प्रकट की गई है। इसी तरह आरआरटी 2001 पेज 1375 के माध्यम से किसी सहखातेदार द्वारा अपने हिस्से की सीमा तक विक्रय एवं सदनभारी केता को उसके अधिकार से वंचित करने की कार्यवाही को अनुचित बताया गया है। इसी प्रकार आरआरटी 2004 पेज 1117 द्वारा सहखातेदारी भूमि के किसी एक सह खातेदार




राजस्व अपील अधिकारी
बिकानेर

द्वारा अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर देने पर क्रेता को वाद में पक्षकार बनाना आवश्यक बताने वाला न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रसारित अस्थाई निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 23 की हद तक पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा को बढ़ाया गया है। उक्त आदेश से अपीलांत के हक किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति अपीलांत का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि करीब 50 पक्षकारों की सहखातेदारी की है। सभी को उनके वंश सजरा के मुताबिक हिस्सा मिला है। कुछ सह खातेदार अपना हिस्सा विक्रय करना चाहते हैं। तो ऐसे किसी विक्रय पर कानूनी रोक नहीं है। विधिक प्रावधानों के तहत विक्रेता सहखातेदार का स्थान क्रेता एक सह खातेदार ले लेता है तथा उसे समस्त अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अपीलाधीन प्रकरण में पूर्व सहखातेदार लूणकरण के वारिसों ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया है तो उनके हिस्से पर समस्त अधिकार स्वतः ही क्रेता को प्राप्त हो चुके हैं। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 01-07-2016 को विवादित भूमि के सम्पूर्ण रकबे के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर करीब 50 सह खातेदारों को उनके हिस्से के अन्तरण पर असीमित समय के लिए रोक लगाकर उनको अपने अधिकारों के उपयोग से प्रतिबंधित करने में भूल की है। तत्पश्चात् दिनांक 27-06-2019 को उक्त आदेश में संशोधन करते हुए कुछ पक्षकारों (रेस्पोंडेंट संख्या 22 से 44) की सीमा तक स्थगनादेश निष्प्रभावी किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 23 के विरुद्ध स्थगनादेश बरकरार रखा है।

परीक्षण न्यायालय का यह आदेश अतार्किक एवं मनमाना है क्योंकि एक ही श्रेणी के सहखातेदारों को अलग-अलग तरीके से पाबन्द करना उचित नहीं है। प्रत्येक सहखातेदार का अधिकार है कि वह अपना हिस्सा विक्रय करें तथा क्रेता को भी अधिकार है कि वह कयशुदा हिस्से के विभाजन हेतु न्यायालय में वाद पेश करें। खरीद फरोख्त की





राजस्व अपील अधिकारी
वीकानेर



इस प्रक्रिया को रोकना जाना छात्रों के विधिक अधिकारों को कम करना है। यदि किसी एक या अधिक सहस्रोंदर को अपना हिस्सा सुरक्षित रखना है तो उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा पेश करना चाहिए तथा किसी एक स्थान पर अपने हिस्से की सीमा तक कब्जा बताने के लिये सुरक्षित रखने के लिये विशेषज्ञा प्राप्त की जा सकती है परन्तु अपने हिस्से की आड़ में शेष सह छात्रों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।

अतः अपील की अपील स्वीकार की जाकर सहस्रक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीकानेर का आदेश दिनांक 01-07-2016 तथा संशोधित आदेश दिनांक 27-06-2016 को अपास्त किया जाता है। पक्षकारों के मध्य कब्जों को लेकर विवाद है तो परीक्षण न्यायालय नये सिरे से टीनेन्सी एक्ट की धारा 212 के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

आदेश आज दिनांक 12-07-2019 को सुनाया जाकर अपील का अंतिम निस्तारण किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तामील दाखिल दफ़तर हो।


राजस्थान अधीनस्थ न्यायाधीश
राजस्थान अधीनस्थ न्यायाधीश
श्रीकानेर